306- 4 जी0एस0 II- 72/4089

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला एवं सत न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ /5/72

विषय : भूतपूर्व आपातकाल कमीशण्ड अधिकारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों (जो आपातकाल में सेवा में भर्ती हुए को पुनर्स्थापि करना--पदों का आरक्षण ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4741-4जी एस0---II-71/26709 दिनांक 13-9-71 की ओर दिलाऊं । भूतपूर्व आपातकाल कमीशण्ड अधिकारियों तथा भूत सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए ब्लाक सीस्टम को अपनाने के प्रश्न पर विचार करके यह निर्णय किया ग है कि कथित प्रणाली उसी आधार पर अपनाया जाए जिस प्रकार अनुसूचित जातियों आदि के केस में रिक्तियां आरक्षि की जाती हैं । जो विशेष रिक्तियां भूतपूर्व सेवा कर्मिकों के लिए 100 रिक्तियों के एक ब्लाक में आरक्षित की जाए वे इस प्रकार होगी :—

(i) भूतपूर्व सेवा कर्मिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां जहां 100 रिक्तियों के प्रत्येक खण्ड में 28 प्रति आरक्षण करना होता है ।

2-5-9-12-15-19-23-28-32-35-38-42-45-48-52-55-59-62-65-69-73-78 82-85-88-92-95-98

(ii) भूतपूर्व सेवा कर्मिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों जहां 100 रिक्तियों के प्रत्येक खण्ड में 28- आरक्षण करना होता है ।

2-7-12-17-22-28-32-37-42-47-52-57-62-67-72-82-87-92-97

यह भी कहा जाता है कि जिन रिक्तियों को एक खण्ड में इकट्ठा करना होता है उनके लिए जरुरी नहीं कि उनका पदनाम समान हो । इसके लिए केवल इतना ही काफी होगा कि रिक्तियां उन पदों की है जिनका पदनाम व वेत मान समान हो, यह बात उस समय ध्यान में रखना चाहिए जिस समय पदों को इकट्ठा करने का प्रश्न पैदा हो

2. इस बारे में यह भी अंकित करें कि जो व्यक्ति लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल के द्वा गुण के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं उनकी वरिष्ठता आयोग मण्डल द्वारा तय किये प्रवरण के आधार पर होगी अ अन्य किसी आधार पर नहीं । दूसरे शब्दों में उदाहरणतः एक व्यक्ति खण्ड में रिक्ति नम्बर 2 के प्रति नियुक्त होता (जो कि आरक्षित है) उसकी वरिष्ठता उन व्यक्तियों से ऊपर नहीं होगी जो रिक्ति नम्बर 3 तथा 4 के प्रति गुण के आध पर नियुक्त हुए हैं, यदि वह मैरिट के अनुसार उनके नीचे हैं । इस प्रकार जिस खण्ड रिक्ति के प्रति कोई व्यक्ति नियु होता है वह वरिष्ठता नियत करने के लिए मान्य नहीं है और वरिष्ठता के प्रत्येक केस में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा प्रवरण मण्डल द्वारा निर्धारित गुण ( ) के आधार पर ही नियत की जावेगी । उपरोक्त स्पष्टीकरण स आरक्षित रिक्तियों, चाहे वे भूतपूर्व सेवा कर्मियों की हों या अनुसूचित जातियों के संदस्य, हों, लागू होगा ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें और इन अनुदेश. की विधिवत अनुपालना के लिए अंकित करें ।

भवदी

हस्ता

उप सचिव, सामान्य प्रशास

कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति निम्नलिखित :—